1 साल से अधूरा पड़ा सुमरेरा का चौपाल निर्माण

ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश, शासन की राशि खर्च, लेकिन ग्रामीण अब भी मूलभूत सुविधा से वंचित जांच और कार्रवाई की मांग तेज

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 30 जुलाई। विजयपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सुमरेरा में चौपाल निर्माण कार्य पिछले लगभग एक वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य रुक जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। गांव के लोगों का कहना है कि चौपाल का निर्माण बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ही कार्य बंद कर दिया गया और आज तक उसे पूरा नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चौपाल गांव की सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होता है, जहां पंचायत की बैठकें, सामाजिक कार्यक्रम और अन्य सामुदायिक आयोजन संपन्न होते हैं। निर्माण अधूरा रहने के कारण गांव के लोगों को इन गतिविधियों के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, चौपाल निर्माण के लिए शासन द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी और प्रारंभिक निर्माण कार्य भी कराया गया, लेकिन इसके बाद कार्य अचानक बंद हो गया। लंबे समय से निर्माण कार्य ठप होने के कारण अधूरी इमारत जर्जर होने लगी है, जिससे सरकारी धन के उपयोग और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। कई बार मौखिक एवं लिखित शिकायतें किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं कराया गया। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और सामाजिक लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्माण कार्य में हुई देरी के कारणों का पता लगाया जाए तथा चौपाल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति की लापरवाही अथवा अनियमितता सामने आती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

कब तक मिलेगी बहुप्रतीक्षित चौपाल की सुविधा

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस लंबे समय से लंबित पड़े निर्माण कार्य को लेकर क्या कदम उठाता है और सुमरेरा के ग्रामीणों को उनकी बहुप्रतीक्षित चौपाल की सुविधा कब तक मिल पाती है।

ग्राम चौपाल
यातायात पुलिस श्योपुर
यातायात पुलिस, श्योपुर

वर्धा से हुई 'ग्राम चौपाल' की शुरुआत

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 30 जुलाई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायल व्यक्तियों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्योपुर पुलिस ने एक विशेष मुहिम शुरू की है। नए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान की पहल पर यातायात पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 'यातायात ग्राम चौपाल' कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। इस अभियान का पहला कार्यक्रम देहात थाना क्षेत्र के ग्राम वर्धा स्थित हाई स्कूल परिसर में आयोजित किया गया, जहाँ यातायात पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25 हजार रुपए

'गोल्डन आवर' में जान बचाने पर फोकस : चौपाल को संबोधित करते हुए यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह राजपूत ने कहा कि सड़क दुर्घटना के शुरुआती 1 घंटे (गोल्डन आवर) में घायल को अस्पताल पहुँचाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर इलाज मिलने से अधिकांश घायलों की जान बचाई जा सकती है।

कार्यक्रम में थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत, सूबेदार अनिल बाथम, ग्राम वर्धा के सरपंच कप्तान सिंह जाट, हाई स्कूल प्राचार्य रामजीलाल गुप्ता समेत लगभग 60 से अधिक ग्रामीण और युवा मौजूद रहे।

गाँव में तैयार हुए 20 लाइफ सेवर वॉलिंटियर्स : सड़क हादसों के दौरान तत्काल मदद पहुँचाने के लिए ग्राम वर्धा से स्वेच्छा से आगे आए 20 ग्रामीणों को वॉलिंटियर के रूप में चिन्हित कर उनके नाम-नंबर पुलिस रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। ये वॉलिंटियर्स दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने में मदद करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पात्र वॉलिंटियर्स को राहवीर योजना के तहत 25,000 के पुरस्कार के लिए जिला स्तरीय कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

3 बड़ी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को किया जागरूक :
राहवीर योजना– सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (1 घंटे के भीतर) अस्पताल पहुँचाकर जान बचाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से ?25,000 का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
हिट एंड रन प्रतिकर योजना– यदि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा होता है और 30 दिन तक वाहन का पता नहीं चलता, तो मृतक के परिजनों को 2,00,000 तथा गंभीर घायल को 50,000 की आर्थिक सहायता कार्यालय के माध्यम से दी जाती है।
पीएम राहत कैशलेस उपचार योजना– सड़क हादसे में घायलों को अधिकृत निजी अस्पतालों में 1.5 लाख तक के मुफ्त (कैशलेस) इलाज का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को दी समझाइश: नशे से दूरी है जरूरी : यातायात पुलिस ने युवाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ही वाहन चलाने की सलाह दी। साथ ही, दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर जोर दिया। नशे से दूरी है जरूरी संदेश के साथ युवाओं को नशे की हालत में वाहन न चलाने की कड़ी हिदायत दी गई।

आगे इन गाँवों में लगेगी चौपाल

यातायात पुलिस द्वारा आगामी दिनों में जिले के प्रमुख मार्गों पर स्थित गाँवों में भी यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा- शिवपुरी रोड स्थित कलमी, काली तलाई, गोरस, सेसईपुरा पाली रोड स्थित रायपुरा, सोई, भाविका, दांतारदा, बड़ौदा रोड: अजापुरा, चंद्रपुरा, पंडोला, खतौली रोड स्थित ढोटी, प्रेमसर, गांधीनगर, जलालपुरा, ढोढर नहर रोड स्थित कलारना, तिल्ली डेरा, हासिलपुर और ढोढर।

रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर होगी सख्त कार्यवाही

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 30 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किये गये निर्देशो के क्रम में चंबल घडियाल अभ्यारण से रेत के खनन को रोकने तथा निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारी कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान अब तक किये गये उपायो एवं कार्यो की समीक्षा की गई तथा आगामी समय में की जाने वाली कार्यवाहियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही की जायें।

बीएनएसएस, वन्य जीव अधिनियम, खनिज अधिनियम के तहत होंगे मामले दर्ज

उन्होंने कहा कि चंबल अभ्यारण क्षेत्र से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन पर पूर्णतया रोक लगाई जाये तथा अवैध उत्खनन करने वालों पर कडी कानूनी कार्यवाही की जाये, बगैर नंबर के वाहनों को जब्त किया जायें तथा अवैध परिवहन के रास्तों पर नाकेबंदी बढाई जायें, खनिज नियमों के साथ ही वन्य जीव अधिनियम, बीएसएसएस, वन अधिनियम और खनिज अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वन अधिकारियों के साथ मिलकर 15 दिन में एक बार संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही वन, पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें सप्ताह में दो बार औचक निरीक्षण करेंगी और इसकी वीडियोग्राफी बॉडी-वर्न कैमरो और जीपीएस उपकरणो से की जायेगी। संवेदनशील क्षेत्रो में अवैध खनन पाये जाने पर संबंधित वन अधिकारी, थाना प्रभारी, खनन अधिकारी और राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होंगे तथा 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जायेगी। उन्होने बताया कि एक डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफार्म और क्यूआर कोड सिस्टम स्थापित किया जायेगा, जहां कोई भी नागरिक अथवा ग्रामीण गुप्त रूप से फोटो, वीडियो अपलोड कर घडियाल क्षेत्र में अवैध खनन अथवा शिकार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

2 वाहनों पर दर्ज की गई एफआईआर

डीएफओ केएस रंधा ने बताया कि चंबल एवं पार्वती क्षेत्र के 10 घाट बडोदिया बिंदी, राजौरा, कुंहाजापुर, जलालपुरा, अडवाड, दलारना कलां, दांतरदा कलां, टोगनी, रामेश्वर, बगदिया, अर्रोदरी, बरोली पर रेत के अवैध उत्खनन की सीसीटीवी कैमरो से निगरानी की जायेगी, उन्होंने बताया कि अभ्यारण क्षेत्र में 16 चौकियां भी बन रही है, अस्थाई रूप से चौकियां संचालित कर दी गई है, जिन पर भी कैमरे लगाये जायेगे, वर्तमान में अस्थाई चौकियों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेत खनन और परिवहन में लिप्त वाहनो को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी। घडियाल विभाग द्वारा अभी तक अवैध परिवहन के 03, उत्खनन के 06, भण्डारण के 03, जब्ती के 03, पीओआर के 06 प्रकरण बनाये गये है और 02 वाहनो कर एफआईआर दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस पर उल्लास : एक अभिनव प्रयोग अभियान अंतर्गत होंगा कार्यक्रम

श्योपुर, 30 जुलाई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी एडवाइजरी फ्रेमवर्क एवं माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर श्री बी.एल. प्रजापति की उपस्थिति में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सम्मानीय न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण व जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर के अधिकारी व कर्मचारीगण के समन्वय से उल्लास: एक अभिनव प्रयोग कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बी.एल. प्रजापति द्वारा ध्वजारोहण किये जाने के उपरांत जिला न्यायालय परिसर में देशभक्ति से संबंधित प्रस्तुतियां, संगीत एवं विविध गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण व कर्मचारियों एवं उनके बच्चों द्वारा उक्त अभियान के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदाय कर सम्मानित किया जावेगा।

एसडीएम ने प्रेमसर क्षेत्र का किया भ्रमण

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 30 जुलाई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गगन सिंह मीणा द्वारा गत दिवस उप तहसील प्रेमसर क्षेत्र का भ्रमण कर विकास कार्यों एवं राजस्व संबंधी मामलों का निरीक्षण किया गया।

भ्रमण के दौरान पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उप तहसील प्रेमसर परिसर में वृक्षारोपण कर हरित वातावरण का संदेश दिया गया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पौधों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। भ्रमण के दौरान ग्राम जलालपुरा में पीएचई विभाग द्वारा प्रस्तावित पेयजल टंकी के निर्माण हेतु भूमि संबंधी विवाद का मौके पर निरीक्षण कर संबंधित पक्षों एवं अधिकारियों के साथ चर्चा की गई तथा आवश्यक निर्देश देते हुए भूमि संबंधी समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिससे पेयजल परियोजना समय पर प्रारंभ हो सके।

वृक्षारोपण के साथ विभिन्न जनसमस्याओं का मौके पर किया समाधान

इसके पश्चात ग्राम ढोठी में लंबे समय से लंबित रास्ता विवाद का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संबंधित पक्षों की बात सुनकर राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा विवाद के शीघ्र एवं न्यायसंगत निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान पचीपुरादूप्रेमसर क्षेत्र में चंबल नहर (माइनर) से संबंधित समस्याओं का भी मौके पर निरीक्षण किया गया। सिंचाई एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से स्थिति का अवलोकन कर किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि सिंचाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

एसडीएम श्री मीणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में स्थल पर जाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना तथा जनता की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान करना है। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, राजस्व अमला एवं स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नगरपालिका श्योपुर में 59 हजार 477 मतदाता

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 30 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर श्री उपाध्याय की अध्यक्षता में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन उपरांत स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस श्रीवास्तव, एसडीओपी राजीव गुप्ता, भाजपा से दिनेश दुबोलिया, कांग्रेस से सुमेर सिंह, बसपा से विकास बौद्ध, आम आदमी पार्टी से अनिल मीणा, इलेक्शन सुपरवाईजर श्रीमती प्रीति आर्य, स्थानीय निर्वाचन से जयवीर सिंह भदौरिया आदि उपस्थित थे।

स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

कलेक्ट्रेट श्योपुर

अपर कलेक्टर उपाध्याय ने कहा कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गत 27 जुलाई को किया गया है। इस अवसर पर पार्टी प्रतिनिधियों को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की प्रतियां उपलब्ध कराई गई।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अंतिम प्रकाशन अनुसार नगरपालिका श्योपुर मतदाताओं की संख्या 59 हजार 477 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 30 हजार 322 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 29 हजार 154 है, थर्ड जेंडर के रूप में एक मतदाता दर्ज है।

नगरपरिषद बडौदा में कुल मतदाता 13 हजार 310 : अंतिम प्रकाशन के बाद नगरपरिषद बडौदा अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 13 हजार 310 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 6 हजार 862 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 6 हजार 448 है।

नगरपरिषद विजयपुर में कुल मतदाता 12 हजार 771 : अंतिम प्रकाशन के बाद नगरपरिषद विजयपुर अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 12 हजार 771 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 6 हजार 760 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 6 हजार 10 है, थर्ड जेंडर के रूप में एक मतदाता दर्ज है।

श्री हजारेश्वर उमाविद्यालय में प्रवेश मेला आयोजित

श्योपुर, 30 जुलाई। शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर के प्राचार्य डॉ ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में आज महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए प्रवेश मेले में शासकीय श्री हजारेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर में प्रवेश लेने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक डॉ महेश कुशवाहा, डॉ खेमराज आर्य, डॉ धर्मेन्द्र शाक्य, डॉ राहुल कुमार कुशवाहा ने महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को विस्तार से बताया।

विश्व मानव दुर्व्यापार निरोधी दिवस पर जागरूकता अभियान

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 30 जुलाई। महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल के दिशा-निर्देशों के तहत श्योपुर पुलिस ने मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के प्रति समाज को जागरूक करने की पहल की है। पुलिस अधीक्षक श्योपुर श्री रहमान के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर प्रवीण भूरिया के निर्देशन में 30 जुलाई को विश्व मानव दुर्व्यापार निरोधी दिवस के अवसर पर महिला थाना श्योपुर द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नागरिकों को दी गई कानून और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी : कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आम नागरिकों को मानव दुर्व्यापार से जुड़े विविध पहलुओं, इसके रोकथाम के उपायों और इससे संबंधित कड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी स्थान पर मानव तस्करी या इससे जुड़ी किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलती है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।

विजयपुर नगर सहित पूरे क्षेत्र में मनाई गई गुरू पूर्णिमा

विजयपुर, 30 जुलाई। नगर में अलैनिया आश्रम,व वधपुरा तिराये पर व गौहरा सिद्ध स्थान पर तथा बांगरौद तिराये पर पंचमुखी हनुमान मंदिर पर आयोजित भागवत कथा के समापन पर गूंगा महाराज के हजारौ चेलौ ने गुरू पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गुरू महाराज की पूजा-अर्चना कर प्रसादी ग्रहण की इस स्थान पर आज सुबह से ही गुरु गूंगा महाराजकी पूजा कर 10 बजे से ही प्रसादी ग्रहण की यह भंण्डारा सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है और अभी श्यामके 8,9, बजे तक चलेगा , इस भंण्डारे मैं करीब 5,6 हजार श्रद्धालुओं का प्रशादी ग्रहण करैगे गूंगा महाराज जन्म से गूंगा है इनपर हनुमानजी की विषेश कृपा है आजभी गूगा बाबा इसारे में ही समझते हैं ब इसारे में ही सबको समझाते हैं गूगा बाबा बांगरौद ग्रामके मूल निबासी है तथा ब्राम्हण समाज से है गूंगा बाबा इस क्षेत्र में मशहूर साधू संत है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र विवाद में नया मोड़, सीएम हेल्पलाइन के जवाब पर उठे सवाल

नवभारत न्यूज
विजयपुर, 30 जुलाई। नगर परिषद विजयपुर के सब इंजीनियर महेंद्र गर्ग के दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्रस्तुत जवाब को लेकर और अधिक गंभीर हो गया है। शिकायतकर्ता संतकुमार शाक्य ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 39111164 के निराकरण में नगर परिषद विजयपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) रामप्रकाश जगनेरिया द्वारा मंत्रालय स्तर पर तथ्यहीन एवं भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई है। उनका कहना है कि इस जवाब से पूरे मामले की निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं।

तथ्यहीन जानकारी देने का लगाया आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

शिकायतकर्ता के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दिए गए समाधान में उल्लेख किया गया है कि संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय दतिया में ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा मशीन से जांच के बाद जारी किया गया था तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा उसका ऑनलाइन सत्यापन कर उसे वैध पाया गया। जबकि उनका दावा है कि यह जानकारी वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाती। संतकुमार शाक्य का कहना है कि संबंधित श्रवण बाधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र वर्ष 2013 में जारी किया गया था। उनके अनुसार उस समय जिला चिकित्सालय दतिया में श्रवण क्षमता की वैज्ञानिक जांच (ऑडियोमेट्री) के लिए आवश्यक मशीन उपलब्ध ही नहीं थी। उनका दावा है कि यह मशीन वर्ष 2018 से 2021 के बीच स्थापित हुई। ऐसे में वर्ष 2013 में मशीन के माध्यम से जांच किए जाने का उल्लेख संदेह के घेरे में आता है। मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ऑनलाइन सत्यापन को लेकर सामने आया है। शिकायतकर्ता ने भारत सरकार की 5 मई 2021 की अधिसूचना तथा मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण संचालनालय के 6 मई 2021 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की यूडीआईडी आधारित ऑनलाइन व्यवस्था 1 जून 2021 से लागू हुई। उनका कहना है कि वर्ष 2013 में जारी प्रमाण पत्र तथा वर्ष 2015 में हुई नियुक्ति के समय ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं थी। ऐसे में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्रस्तुत ऑनलाइन सत्यापन संबंधी जानकारी की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपने अधीनस्थ अधिकारी का बचाव करने के उद्देश्य से सीएमओ द्वारा संचालनालय एवं चिकित्सकों का हवाला देते हुए भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई है।

जांच के बाद हो सकेगी आरोपों की पुष्टि

शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, इस संबंध में नगर परिषद विजयपुर अथवा संबंधित अधिकारियों की ओर से शिकायतकर्ता के आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही हो सकेगी। यदि शिकायतकर्ता के आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्रस्तुत जवाबों की विश्वसनीयता, प्रशासनिक जवाबदेही और शासकीय रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर सकता है।

इनका कहना है...

सीएम हेल्पलाइन में प्रस्तुत किए गए जवाब में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। मेरे पास दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

– संतकुमार शाक्य,
शिकायतकर्ता